

सम्पदा प्रबन्धक

(6)A

वृत्त—.....

राजस्थान आवासन मण्डल,

.....

विषय :- पंजीकरण/आवंटन का नजदीकी रिश्तेदारों में हस्तान्तरण।

नाम श्री.....

VOTER ID CARD NO. ....

PAN NO. ....

पिता का नाम श्री.....

पता .....

दूरभाष/मोबाईल न0 .....

योजना का नाम .....

आरक्षण लाटरी दिनांक .....

आवास लाटरी दिनांक .....

आय वर्ग .....

वरीयता क्रमांक .....

आवास संख्या .....

आवंटन पत्र क्रमांक/दिनांक .....

भवदीय,

( )

**संलग्न:-**

1. पंजीकरण का हस्तान्तरण नजदीकी रिश्तेदारों में ही मान्य होगा जिनमें आवेदक के माता/पिता, पति/पत्नी, भाई/बहन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्र, एवं पुत्र-वधु सम्मिलित हैं।
2. उक्त हस्तान्तरण पंजीकरण के स्तर पर, नगद भुगतान में माँग पत्र की बकाया राशि जमा कराने के स्तर पर तथा किराया क्रय पद्धति में आवास का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

जो बिन्दु लागू ना हो उस पर क्रोस का निशान अंकित करें।